

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

Ref. No.: C.S.J.M.U./A.R.(P&P)/२०१७ /2013

Date : 16.02.2013

## अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 की परीक्षाओं हेतु मूल्यांकन भवन में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को चाय एवं स्वल्पाहार हेतु दिनांक: 23.02.2013 को अपराह्न 2:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.kanpuruniversity.org](http://www.kanpuruniversity.org) पर उपलब्ध है।

  
कुलसचिव

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.: C.S.J.M.U./ A.R.(P&P)/

/2013

Date : 16.02.2013

क्रमांक:

मूल्य रु0 200/- (दो सौ मात्र)

### अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 की परीक्षाओं हेतु मूल्यांकन भवन में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को चाय एवं स्वल्पाहार हेतु दिनांक: 23.02.2013 को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हें सम्बन्धित कार्य करने का अनुभव हो, उनसे मुहरबंद निविदायें सहायक कुलसचिव (मु0प्र0) कक्ष में आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर "चाय एवं स्वल्पाहार हेतु निविदा" लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट के रूप में 'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर' के नाम जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.kanpuruniversity.org](http://www.kanpuruniversity.org) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 200/- (रुपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से कानपुर में देय होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :-

1. फर्म/एजेंसी का नाम व पता : .....
2. फर्म/एजेंसी की पंजीकरण संख्या : .....
3. फर्म/एजेंसी का टैन नं0 : .....
4. फर्म/एजेंसी के स्वामी का पैन नं0 : .....
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण-  
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 ..... दिनांक: ..... बैंक का नाम.....
6. सुरक्षा धनराशि रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का विवरण:  
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 ..... दिनांक: ..... बैंक का नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर

मो0 नं0.....

*(Handwritten signature)*

फर्म द्वारा प्रस्तुत दर :-

| क्र. सं. | प्रतिदिन आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण   | दर प्रतिदिन की एक साथ उल्लिखित की जाये |
|----------|--|--|
| 1.       | प्रातः 11.00 बजे चाय   |  |
| 2.       | दोपहर 1.00 बजे चाय तथा चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कटलेट, आलू-टिकिया, ढोकला, सैण्डविच, पेटीज़ इत्यादि में से एक सामग्री। |  |

उक्त कार्य 08 मार्च से प्रारम्भ होकर 30 जून तक चलने की सम्भावना है। शिक्षकों/कर्मचारियों की संख्या 100 से लेकर 800 तक प्रतिदिन संभावित है।

आवेदक के हस्ताक्षर



**आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :-**

1. फर्म/एजेंसी द्वारा रू0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।
2. उक्त कार्य हेतु चाय एवं स्वल्पाहार सामग्री को मूल्यांकन भवनों के सम्बन्धित कक्षों में पहुंचाने का कार्य फर्म द्वारा किया जायेगा तथा इस कार्य में लगने वाले लेबर/कर्मचारियों पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय फर्म को वहन करना होगा।
3. प्रत्येक दिन का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित सामग्रियों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
4. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. फर्म को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्य संतोषजनक न होने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा फर्म द्वारा जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

**कुलसचिव**

